



कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/2013
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 11/जुलाई/2017

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार सिलकझोड़ी से गीदम तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम साडराबोदेनार, पटवारी, हल्का नंबर 09, राजस्व निरीक्षक मण्डल बास्तानार, तहसील बास्तानार की निजी भूमि रकबा 0.13 हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के नियम 24 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट कलेक्टर बस्तर के वेबसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(धनंजय देवांगन)

कलेक्टर,

बस्तर जिला

प्रारूप - तीन
सामाजिक समाघात निवारण प्रतिवेदन
(नियम 23 देखिये)

प्रमाण - सादरा बोदेनार, राठनिग-बास्तानार, तहसील - बास्तानार, जिला - बस्तर छोगो वर्ष 2016-17

1 परियोजना क्षेत्र में जनसांख्यिकी का विवरण :-

(क) कुल जनसंख्या	(एक) पुरुष	४२०	(दो) महिला	४४३	८६३
(ख) बच्चों की संख्या	(एक) पुरुष	३८	(दो) महिला	३३	७८
(ग) जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा.	८६३	(दो) अ.जा.	५	५
	(तीन) अ.पि.व.	५	(चार) अन्य	५	५
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू	८६३	(दो) मुस्लिम	५	५
	(तीन) सिक्ख	५	(चार) ईसाई	५	५
	(पांच) बौद्ध	५	(छः) अन्य	५	५
					निरंक

2 गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या	१३०	५
3 वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या	२०	५
4 निराश्रित पेंशनरों की संख्या	५	५
5 निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या	३१० + २८०	५
6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन	५	५
7 प्रशासनिक संगठन	५	५
8 राजनीतिक संगठन	५	५
9 सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य	५	५

10 भूमि का उपयोग :-

(एक) कृषि भूमि	६३१-४६६	५
(दो) पड़त भूमि	४-३४४	५

22 बाजार तक पहुँच

23 पर्यटन स्थल

24 सहकारी संस्थाएँ

25 रहन-सहन :-

(एक) धारणाएँ, सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा

(दो) गृह

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि)

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1 भूमि जीविका और आय पर समाघात :-

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके

(ग) आय के स्तर

(घ) खाद्य सुरक्षा

(ङ.) जीवन निर्वाह का स्तर

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच

2 भौतिक संसाधनों पर समाघात :-

पेढ़ा 19-10-25-11/11/25

प्रभावित नहीं होता

प्रभावित नहीं होता

लागु नहीं होता

—

—

—

—

—

—

—

—

—

लागु नहीं होता

पेढ़ा 19-10-25-11/11/25

—

—

—

—

—

—

—

—

पेढ़ा 19-10-25-11/11/25

- (तीन) सिंचित एक फसली भूमि
(चार) सिंचित दुफसली भूमि
(पांच) असिंचित भूमि

11 जोत का आकार :-

- (एक) लघु कृषकों की संख्या
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या
(तीन) कुल खातों की संख्या
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या
(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या
(तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)

12 पशुधन :-

- (एक) पशुधन की संख्या
(दो) दुधारू पशुधन की संख्या
13 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार
14 पलायन
15 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी
16 खाद्य सुरक्षा
17 अन्य स्थानीय रोजगार
18 मजदूरी दर
19 ऋण तक पहुँच
20 परिवहन एवं सड़क
21 सिंचाई

निरंक

—

606.52 रु.

12

12

156

02

निरंक

—

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

—

प्रभावित नहीं

162

—

—

—

- (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात
- (ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

प्रश्न उपस्थित नहीं होता
--

3 निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिता पर समाघात :-

- (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता
- (ख) गृह सुविधाओं की क्षमता
- (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव
- (घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली
- (ङ.) निजी संपत्तियों जैसे बोरेल इत्यादि पर समाघात

प्रश्न उपस्थित नहीं होता
--

4 स्वास्थ्य समाघात :-

- (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात
- (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात

लागु नहीं होता
--

5 सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात :-

- (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण
- (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन
- (ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन
- (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात
- (ङ.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
- (च) विस्थापन का तनाव
- (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात

लागु नहीं होता
--

6 चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात :-

- (क) पूर्व-सन्निर्माण चरण
- (ख) सन्निर्माण चरण
- (ग) प्रवर्तन चरण

प्रश्न उपस्थित नहीं होता
--

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(ङ) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिह्नंकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

अध्यक्ष

तहसीलदार
बापटानगर

सदस्य
श्री सुखराम सिंह कच्छ
समाज सेवक
ग्राम बडे आरापुर
तह.तोकपाल

सदस्य
डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा
सहायक प्राध्यापक बस्तर
विश्वविद्यालय जगदलपुर

सदस्य

सदस्य

कार्याधीन अस्सी भिक्षु, सावित्रीहासगा
पुरी शस्त्रालय के वेधशिविर (निर्माण)
Exe धूर्ती रस्त, रसगा, सावित्रीपुरी
E.Co. Railway, Jagdalpur

प्ररूप - चार

नियम 23(9) देखिये

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय-वस्तु की सारिणी

अध्याय	विषय-वस्तु	
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजना (ख) स्थान (ग) भूमि अर्जन का आकार और विषेषता (घ) अनुकल्पों पर विचार (ङ) सामाजिक समाघात (च) कमी करने के उपाय (छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण जिससे शिक्षा व्यापार एवं कृषि में वृद्धि	- साइट ओटेनर - - - - कोई नहीं है - न्यूनतम है मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जगदलपुर पहुँच
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना के पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित (ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित (ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा (घ) अनुकल्पों की परीक्षा (ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियाँ और सुविधाओं का आकार और प्रकार (छ) सहायक अधासंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता (ज) कार्यबल अपेक्षाएँ (अस्थाई और स्थई) (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	- - उपयुक्त है - जोखिम नहीं - - लगभग पूर्ण - - नहीं - -

	(ज) लागू किए गए विधान और नीतियां ।	—
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल की सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित	— पृथक से संलग्न
	(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन	— स्थल निरीक्षण द्वारा
	(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग	—
	(घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें)	— आवश्यक नहीं
	(ङ) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)	— सहमति पत्र संलग्न
भूमि अवधारणा	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्णन करें	—
	(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है)	—
	(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि	— हे०
	(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है, का उपयोग	—
	(ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आश्रित उपयोग	—
	(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान	— हे०,
	(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम	— असिंचित, कृषि एक फसल
	(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या	— हे० सेवाभूमि
	(झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में हुए परिवर्तन	—

	पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग	
प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन)	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है— (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है) (एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है (दो) अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है (तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी (चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है (पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं (छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाधात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका	— तीन — — कोई नहीं — — एक सेवा भूमि — नहीं — नहीं — नहीं
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा (ख) आय एवं गरीबी स्तर (ग) दुर्बल समूह (घ) भूमि उपयोग और जीविका (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	— — — — कृषि एवं कृषि मजदूरी — भतस्य आखेट एवं वनोपज संग्रह — — जनजातिय पारिवारिक व्यवस्था

	(ज) प्रशासनिक संगठन (झ) राजनैतिक संगठन (ञ) समुदाय-आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन (ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं (ठ) जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता	— — ग्राम पंचायत — जातीय सामाजिक संगठन — — अच्छी
सामाजिक समाघात .	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढाँचा और दृष्टिकोण (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहाँ लागू हो-आकलित समाघात। (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियाँ, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।	— कोई नहीं — कोई नहीं — कोई नहीं केवल तीन कृषक की भूमि
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न-विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, श्रम के उपायों की व्यवहार्यता और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान के बारे में अंतिम निष्कर्ष। (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।	वृहत लोक प्रयोजन क्षति न्यूनतम है। प्रस्तावित अर्जन वृहत लोकहित में उपयोगी है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार में वृद्धि एवं समग्र विकास पहुँच मार्ग निर्माण होने के कारण — अतः अर्जन होना चाहिए।
निर्देश एवं प्ररूप	निर्देश एवं आगे सूचना हेतु	

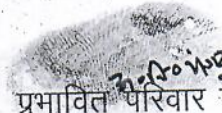
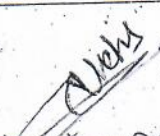
अध्यक्ष
 सदस्य
 सहस्य
 डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा
 सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
 सदस्य
 श्री सुखचंद कोटपूरिया
 सहायक अभियंता निर्माण-11
 सदस्य
 श्री 01 मोवि सेतु जगदलपुर
 Executive Engineer (Cons-II)
 E.Co.Railway, Jagdalpur

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमती/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	मंगडू पिता भोदू जाति माड़िया
2	पति/पत्नी का नाम	—
3	पिता/माता का नाम	भोदू
4	पता	पुजारीपारा, साडरा बोदेनार
5	ग्राम/बस्ती	साडरा बोदेनार
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	साडरा बोदेनार
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	1.0000 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.05 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 308/1
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 308/1
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	—
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	—
16	कोई अन्य अधिकार, अभिघृति सहित, यदि कोई हो	—
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में मैं निम्न लिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाएं)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हां नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हां	नहीं
---	-----	------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हां	नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं

		 प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।	
		 हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदभिहित जिला पदधारी के लेहरी सीलदार बारवाना

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमती/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	हड़मा पिता बोटी, जाति माड़िया
2	पति/पत्नी का नाम	-
3	पिता/माता का नाम	बोटी
4	पता	पुजारी पारा, साडरा बोदेनार
5	ग्राम/बस्ती	साडरा बोदेनार
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	साडरा बोदेनार
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	2.510 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.08 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 306
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 306
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिघृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में मैं निम्न लिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाएं)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हां नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हां	नहीं
---	-----	------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हां	नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं

	31.04.2024 प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न हौनी चाहिए।	
	हस्ताक्षरित प्ररूप के तहत सीलदार जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख	